दिल्ली विधान सभा

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

सरकारी/गांव सभा की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में विधायकों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

25 सितम्बर, 1998 को प्रस्तुत ।

Report of the Committee to Inquire into the Complaints received from MLAs regarding Encroachment on Government/Gaon Sabha Land

Presented on 25 September, 1998

विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय,

दिल्ली - 110054

OLD SECRETARIAT, DELHI

विषय-सूची

1.	समिति का गठन	1
2.	प्रस्तावना	2-3
3.	प्रतिवेदन	4-9
4.	निष्कर्ष	9-10

समिति का गठन

1.	श्री मुरारी सिंह पवार	सभापति
2.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
3.	श्री दीप चन्द बन्धु	सदस्य
4.	श्री पूरन चन्द योगी	सदस्य
5.	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री पी.एन.गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस.के.शर्मा	विशेष सचिव
3.	श्री के.एल.कोहली	समिति अधिकारी

....

प्रस्तावना

मैं, मुरारी सिंह पवार, सरकारी/गांव सभा भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में विधायकों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समिति का गठन 2 जनवरी, 1998 को किया गया था और इसकी कुल 11 बैठकें हुई ।

समिति ने तुगलकाबाद की खसरा नंबर-1735/410 मिन· से संबंधित केन्द्र सरकार की भूमि पर सदन के एक सदस्य, श्री शीश पाल द्वारा अतिक्रमण के आरोप से संबंधित श्री जय भगवान, विधायक से प्राप्त शिकायतों की जांच की । जांच करने और मामले की छान-बीन करने के उद्देश्य से समिति ने सचिव(राजस्व), क्षेत्रीय एस·डी·एम·, दक्षिणी और केन्द्रीय मण्डलों के उप निगमायुक्त, आयुक्त, खाद्य एवं संभरण तथा अन्य अनेक अधिकारियों को बुलाया और उनके साक्ष्य दर्ज किये ।

यह प्रतिवेदन दिल्ली सरकार के विभिन्न अधिकारियों और एजेन्सियों द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी तथा समिति की बैठकों के दौरान उसके सदस्यों द्वारा उनसे पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों पर आधारित है ।

इस प्रतिवेदन पर समिति द्वारा उसकी 17, सितम्बर, 1998 को सम्पन्न बैठक में विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया । बैठक में समिति ने श्री मुरारी सिंह पवार को उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत भी किया ।

समिति दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और अधिकारियों तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा दिये गये सहयोग की हार्दिक प्रशंसा करती है ।

समिति की बैठकों को आयोजित करने और इस प्रतिवेदन को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की भी समिति हार्दिक प्रशंसा करती है ।

दिल्ली,
17, सितम्बर, 1998

(मुरारी सिंह पंवार)
सभापति,
सरकारी/गाँव सभा भूमि पर
अतिक्रमण करने के संबंध
में विधायकों से प्राप्त शिकायतों
की जाँच करने संबंधी समिति ।

समिति का गठन

2जनवरी, 1998 को हुई सदन की बैठक में नियम-287 के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा गाँव सभा/ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने/ उसे बेचने/ खरीदने और इस संबंध में अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों से संबंधित उठाए गए विशेष उल्लेख के मामले में हस्तक्षेप करते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया था :-

"सरकारी/गाँव सभा की भूमि के अतिक्रमण या बिक्री या खरीद तथा इस संबंध में अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों की जाँच करने हेतु अध्यक्ष द्वारा एक पाँच सदस्यीय समिति मनोनीत की जाए । सदस्यों से इस संबंध में शिकायतें इस शर्त के साथ आमंत्रित की जायें कि यदि शिकायत असत्य पायी गई तो संबंधित सदस्य को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा"।

माननीय अध्यक्ष द्वारा 2 फरवरी,1998 को औपचारिक रूप से समिति का गठन किया गया ।

संकल्प का पाठ विधान सभा समाचार भाग - 2 दिनांक 2 फरवरी,1998 तथा पुनः 26 मई,1998 को सदस्यों को, उनसे शिकायतें, यदि कोई हों तो, आमंत्रित करते हुए वितरित कर दिया गया था ।

समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायत

विधान सभा समाचार के प्रति उत्तर में समिति को श्री जय भगवान से सदन के एक सदस्य श्री शीशपाल के विरुद्ध केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई । शिकायत में कहा गया था कि श्री शीशपाल का तुगलकाबाद गांव की खसरा संख्या 1735/410 मिन· से संबंधित 2 बीघे स्कबे की केन्द्रीय सरकार की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है । शिकायतकर्त्ता ने अपनी शिकायत के साथ अपने आरोप की पुष्टि के लिये राजस्व विभाग के खसरा गिरदावरी की एक प्रतिलिपि भी संलग्न की थी । शिकायतकर्त्ता ने यह भी हलफ़नामा दिया था कि यदि उनका आरोप असत्य पाया गया तो वे विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देंगे ।

शिकायत के संबंध में पूछताछ/जांच

इस प्रयोजन हेतु आयोजित की गई प्रथम बैठक में समिति ने शिकायतकर्त्ता के साथ-साथ राजस्व विभाग के सचिव व अन्य अधिकारियों को सुनने का निर्णय लिया। शिकायतकर्ता विधायक ने अपने साक्ष्य में अपने द्वारा की गई शिकायत का दृढ़ता से

समर्थन किया ।सचिव(राजस्व) ने अपने साक्ष्य में बताया कि तुगलकाबाद गांव (तहसील महरौली) के खसरा नंबर-1735/410 मिन· की भूमि, जो पुनर्वास विभाग से संबंधित केन्द्रीय सरकार की भूमि थी,वह श्री शीशपाल सुपुत्र श्री केसरी के कब्जे में है । इस भूमि का कुल क्षेत्र 2 बीघा (2000 वर्ग गज) के करीब है । सम्पूर्ण क्षेत्र में निर्माण हो चुका है और यह पिछले 12/13 वर्षों से श्री शीश पाल के स्वामित्व में है । पूछताछ किये जाने पर, सचिव(राजस्व) ने बताया कि सरकारी भूमि पर प्रतिकूल अधिकार द्वारा भूमि का स्वामित्व सिद्ध किया जा सकता है यदि उस भूमि पर कब्जेदार का लगातार 30 वर्षों से अधिक कब्जा रहा हो

तत्पश्चात्, समिति ने श्री शीश पाल को अपने बचाव का अवसर प्रदान किया।

श्री शीश पाल,विधायक का बयान

श्री शीश पाल, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी, समिति के समक्ष उसकी 3 जुलाई,1998 को सम्पन्न बैठक में उपस्थित हुए । उन्होंने बताया कि यद्यपि तुगलकाबाद गांव के खसरा संख्या 1735/410 मिन· से संबंधित राजस्व अभिलेख में दर्ज पाया गया है,फिर भी उनका उस भूमि पर न तो कोई कब्जा रहा है, न ही उन्होंने कभी उस जमीन को बेचा है । उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 2 बीघे खबे की भूमि कई लोगों के कब्जे में थी,जिनमें से कुछ का दिल्ली विकास प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार से मुकदमा चल रहा है ।

जब कथित भूमि की उनके पिता श्री केसरी सिंह द्वारा मुख्तारनामे(पॉवर ऑफ एटार्नी) के आधार पर बेचे जाने से संबंधित करारनामे की एक प्रतिलिपि साक्षी को दिखाई गई तो उन्होंने बताया कि कथित भूमि उनके पिता से संबंधित थी जिन्होंने उसे किसी अन्य पक्ष से खरीदा था और वे समिति के समक्ष अपने कथन के समर्थन में वह दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं ।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि साक्षी(श्री शीश पाल) को इस तरह का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिये ताकि समिति इस मामले में उनकी निर्दोषिता के बारे में कायल हो सके ।

समिति की अगली बैठक में निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोप्रतियां पेश की गई :-

(I) तुगलकाबाद गांव के खसरा संख्या 410 की 175 वर्ग गज भूमि की तुगलकाबाद गांव के श्री सतीश कुमार सुपुत्र श्री मोहन लाल तथा 1871/15, गोविन्द पुरी एक्सटेंशन के श्री कश्मीरा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह के बीच हुए सामान्य मुख्तारनामे (जनरल पावर ऑफ एटार्नी) की प्रति ।

(II) तुगलकाबाद एक्सटेंशन के खसरा संख्या-410 की 347 वर्ग गज रकबे की भूमि की श्रीमती माया देवी गोयल पत्नी श्री जी·डी·गोयल, निवासी-एल-2ए, एन·डी·एस·ई· पार्ट-2, नई दिल्ली और सरदार तरसेम सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह निवासी 1352/13, गोविन्द पुरी, कालकाजी, नई दिल्ली के बीच सामान्य मुख्तारनामे की प्रति ।

(III) तुगलकाबाद गांव के खसरा संख्या 410 से संबंधित 250 वर्ग गज भूमि की श्री केसरी सिंह सुपुत्र श्री भारत सिंह, निवासी-एफ·486, गांव तुगलकाबाद और श्रीमती हरमेल कौर पत्नी श्री कश्मीरा सिंह निवासी-आर·जेड-3072/35, तुगलकाबाद एक्सटेंशन के बीच सामान्य मुख्तारनामे (जनरल पावर ऑफ एटार्नी) की प्रति ।

(IV) तुगलकाबाद एक्सटेंशन से संबंधित खसरा संख्या-410 की 344 वर्ग गज भूमि के संबंध में श्री केसरी सिंह सुपुत्र श्री भरत सिंह को अपने कानूनी प्रतिनिधि एटार्नी) के रूप में नियुक्त करते हुए किन्हीं श्रीमती अनीता खण्डेलवाल पत्नी श्री पवन खण्डेलवाल, निवासी-ई·394, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 द्वारा की गई मुख्तारनामे (पावर ऑफ एटार्नी) की प्रति ।

श्री शीश पाल ने बताया कि 19 जून, 1980 को उपरलिखित खसरा से संबंधित भूमि का एक हिस्सा तुगलकाबाद गांव के श्री सतीश कुमार सुपुत्र श्री मोहन लाल द्वारा श्री कश्मीरा सिंह सुपुत्र श्री गुरबचन सिंह को बेचा गया था जिनका इस भूमि पर आज तक भी कब्जा बरकरार है । उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये ।

समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उनका इस जमीन के किसी हिस्से पर कोई कब्जा है या उनकी कोई दुकान है, उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया ।

जब यह पूछा गया कि उनका नाम कथित खसरा के राजस्व अभिलेख में कैसे दर्ज हो गया तो विधायक ने जवाब दिया कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है । उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्हें यह पता चला कि भूमि के गैर कानूनी कब्जेदार के रूप में उनके नाम का उल्लेख मदन झा की रिपोर्ट में किया गया था तो उन्होंनें तत्काल कथित भूमि पर अपने कब्जे से इन्कार करते हुए उप-राज्यपाल को लिखा था ।

क्षेत्रीय एस·डी·एम· द्वारा जांच और उनका प्रतिवेदन

मामले की आगे जांच-पड़ताल करने की दृष्टि से समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि क्षेत्रीय एस·डी·एम· से एक रिपोर्ट मंगवाई जाये तथा भूमि के स्वरूप, उस पर रहने वाले परिवारों की संख्या, उन व्यक्तियों के नाम जिनसे उन्होंने भूमि खरीदी थी, जिन व्यक्तियों के नाम पानी और बिजली के कनेक्शन हैं तथा वर्तमान में वहां रह रहे कुछ व्यक्तियों के बयान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिये भी उन्हें निर्देश दिया जायेगा ।

एस·डी·एम·, कालकाजी ने अपने प्रतिवेदन में बताया गया कि 800 वर्ग गज के रकबे के भूखण्ड को छोड़कर खसरा संख्या 1735/410 मिन· से संबंधित भूमि पर पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका है । वहां लगभग 17 परिवार रह रहे थे और इस क्षेत्र का उपयोग आवासीय प्रयोजन के साथ-साथ व्यावसायिक उद्देश्य के लिये भी किया जा रहा है । भूमि के मालिकों द्वारा कुछ छोटे-छोटे कमरे भी बनवाये गये हैं और उन्हें मजदूरों को किराये पर दिया गया है । कश्मीरा सिंह के अलावा वहां पर और कोई भी मकान मालिक नहीं रह रहा है । श्री कश्मीरा सिंह ने यह भूमि श्री केसरी सिंह वल्द श्री भरत सिंह, निवासी- एफ·486, गांव तुकलकाबाद से अपनी पत्नी श्रीमती हरमेल कौर के नाम खरीदी थी । उन्होंने इस संबंध में जनरल पावर ऑफ एटार्नी और करारनामा भी पेश किया ।

एस·डी·एम· की जांच-पड़ताल से यह भी उद्घाटित हुआ कि 200 वर्ग गज रकबे के दो भूखण्ड किन्हीं श्री भागवीर से संबंधित थे तथा शेष तीन भूखण्ड श्री धर्मपाल शर्मा, श्री अमरनाथ शर्मा और श्री गुरमेल सिंह से संबंधित थे । प्रतिवेदन में यह भी बताया गया कि वहां छोटे-छोटे कटरों में जो मजदूर रह रहे हैं, वे इन लोगों को किराया अदा कर रहे हैं । उन्होंने यह भी बयान दिया कि वहां कुछ मजदूर और उनके परिवार भी रह रहे हैं । सरकारी एजेंसियों द्वारा बिजली और पानी के कनैक्शन अभी नहीं दिये गये हैं और लोग या तो जनरेटरों या अनधिकृत बिजली के कनैक्शनों का उपयोग कर रहे हैं ।

एस·डी·एम· ने समिति को यह भी जानकारी दी कि 5 अप्रैल,1995 को श्री विजेन्द्र विधूड़ी सुपुत्र श्री ज्ञानी के नाम से जारी लाइसेंस संख्या- 3879/95 के आधार पर इन परिसरों में वहां एक मिट्टी के तेल का डिपो चल रहा है । इस संबंध में समिति ने आयुक्त,खाद्य एवं आपूर्ति को तलब किया और उनसे पूछा कि उनका विभाग एक ऐसे व्यक्ति को,जो भवन का मालिक न हो और सरकारी भूमि पर अपना कारोबार कर रहा हो, उसे लाइसेंस कैसे जारी कर सकता है । आयुक्त ने अपने उत्तर में बताया कि आवेदक ने लाइसेंस के लिये आवेदन देते समय हलफ़नामे सहित आवश्यक कागजात पेश किये थे जिसमें उसने शपथपूर्वक कहा था कि वह, जहां मिट्टी के तेल का डिपो खोला जाना है, उस भवन का मालिक है । चूंकि विभाग को दस्तावेजों में जाहिर तौर पर कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ी,इसलिये लाइसेंस जारी किया गया था । उन्होंने आवेदक द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत कीं।

राजस्व विभाग के पटवारी और कानूनगो का बयान

समिति के निर्देशानसार राजस्व अभिलेखों में श्री शीशपाल को खसरा संख्या:1735/410 मिन· में स्थित सम्पत्ति का कब्जेदार दर्शाने वाले कानूनगो और पटवारी, उन्हें बयान देने हेतु समिति के समक्ष तलब किया गया । सेवा-निवृत्त होने के कारण पटवारी उपस्थित नहीं हो सके, अतः कानूनगो ने समिति के समक्ष वक्तव्य दिया कि फरवरी,1998 में श्री शीशपाल का नाम "कब्जेदार" के रूप में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट किया गया था । कानूनगो ने यह भी बताया कि उन्होंने स्थल का दौरा करने एवं स्थानीय निवासियों से पूछताछ करने के पश्चात् पटवारी द्वारा बनाए गए अभिलेखों पर प्रति-हस्ताक्षर भी किया था ।

अभिलेखों का हवाला देते हुए कानूनगो ने बताया कि 1988 से पहले कोई गिरीराज

नाम का कथित व्यक्ति कब्जेदार था । जब उनसे पूछा गया कि क्या वे उस समय श्री शीश पाल ,जो अब विधायक हैं, को जानते थे तो उन्होंने हां में उत्तर दिया और बताया कि उस समय श्री शीश पाल सम्पत्ति का कुछ कारोबार करते थे ।

दिल्ली नगर निगम - सम्पत्ति कर विभाग से पूछताछ

आगे पूछताछ करने और सच्चाई को उजागर करने के मद्देनजर समिति ने उन लोगों का पता लगाने के लिये, जिनके नाम यह सम्पत्ति दिल्ली नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज है, दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को तलब करने का निर्णय लिया । दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों ने गली संख्या-35-36 और तुगलकाबाद एक्सटेंशन के बीच की सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया । उप निगमायुक्त, दिल्ली नगर निगम ने बताया कि कुल मिलाकर कथित खसरा संख्या में कुल 7 सम्पत्तियां मौजूद हैं किन्तु दिल्ली नगर निगम द्वारा उनमें से केवल एक ही सम्पत्ति का मूल्यांकन किया गया है और दिल्ली नगर निगम के अभिलेखानुसार कथित उपर्युक्त सम्पत्ति श्री कश्मीरा सिंह द्वारा किन्हीं श्री अमन अरोड़ा को बेची गई थी । श्री शीश पाल का नाम दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये सम्पत्ति कर विवरण में मौजूद नहीं पाया गया ।

समिति का निष्कर्ष

समिति ने शिकायत के सभी पहलुओं और अभिलिखित एवं प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार किया । समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची :-

श्री शीश पाल ने खसरा संख्या-1735/410 के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज खसरा संख्या- 1735/410 मिन· से संबंधित नहीं है । खसरा संख्या 1735/410 मिन· की 2 बीघा जमीन की मालिक सरकार है । शिकायत खसरे के केवल इसी हिस्से से संबंधित है । अतः समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्री शीश पाल, विधायक के विरुद्ध श्री जय भगवान, विधायक द्वारा की गई शिकायत, वास्तविक एवं सही है । जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी से और आगे तत्कालीन कानूनगो के साक्ष्यों एवं राजस्व अभिलेखों से भी होती है ।

तथापि, समिति ने, आगे जांच-पड़ताल करने पर यह पाया कि श्री शीश पाल के पास इस भूमि का कब्जा नहीं है । वर्तमान में यह भूमि कई अन्य व्यक्तियों के कब्जें में हैं जिनके नाम है :- §1§ भागवीर §2§ धर्मपाल शर्मा §3§ अमर नाथ शर्मा §4§ गुरमैल सिंह और §5§ अमन अरोड़ा ।

समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुंची है कि खसरा संख्या 1735/410 मिन· सरकारी भूमि है और इस भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है । सरकार इस भूमि को खाली कराने एवं इस पर से अतिक्रमण हटाने के लिये कदम उठाये ।

(मुसरी सिंह पवार)
सभापति
सरकारी/गांव सभा भूमि पर अतिक्रमण
के संबंध में विधायकों से प्राप्त शिकायतों
पर जांच करने संबंधी समिति

दिल्ली,
17 सितम्बर, 1998

CONTENTS

1.	Composition	-	1
2.	Introduction	-	2 - 3
3.	Report	-	4 - 11
4.	Findings	-	12 - 13

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

Shri Murari Singh Panwar	Chairman
Shri Nand Kishore Garg	Member
Shri Deep Chand Bandhu	Member
Shri Puran Chand Yogi	Member
Shri Suraj Prasad Paliwal	Member

ASSEMBLY SECRETARIAT

Shri P.N. Gupta	Secretary
Shri S.K. Sharma	Special Secretary
Shri K.L. Kohli	Committee Officer

INTRODUCTION

I, Murari S. Panwar, Chairman of the Committee to Inquire into Complaints received from MLAs regarding Encroachment on Government/Gaon Sabha Land, having been authorised by the Committee to present its Report on their behalf, do present this Report.

The Committee was constituted on 2nd February, 1998 and it held 11 sittings in all.

The Committee inquired into the complaints received from Shri Jai Bhagwan, MLA, against another Member of the House namely Shri Shish Pal, charging him of having encroached upon Central Government land pertaining to Khasra No.1735/410 min. of Tughlakabad. For purposes of conducting its inquiry and examination, the Committee summoned and recorded the evidence of Secretary (Revenue), area SDM, Deputy Municipal Commissioner of South and Central Zones, Commissioner Food & Supplies and several other officials.

This Report is based on the information and the material furnished to the Committee by the various officials and agencies of Delhi Government and replies to questions and queries posed by the Members during its meetings.

The Report was considered and adopted by the Committee in its meetings held on 17 September, 1998. In the meeting

the Committee also authorised Shri Murari Singh Panwar, to present the Report on their behalf.

The Committee is appreciative of the cooperaton extended by various Departments and officials of Delhi Government and the Municipal Corporation of Delhi.

The Committee is also happy to place on record the services rendered by the Officers of the Assembly Secretariat and the other staff in conducting the meetings and preparing and finalising this Report.

(MURARI SINGH PANWAR)
CHAIRMAN
COMMITTEE TO INQUIRE INTO THE
COMPLAINTS RECEIVED FROM THE
MLAs REGARDING ENCROACHMENT
ON GOVERNMENT/GAON SABHA LAND

September 17 , 1998

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

At the sitting of the House held on 2nd January, 1998, while intervening in a matter raised under Rule 287 pertaining to encroachment/sale/purchase of Gaon Sabha/Government Land by persons and orders issued by the officials in this regard, Hon'ble Chief Minister moved the following Motion:-

> "That a Committee consisting of 5 Members be nominated by the Speaker to inquire into encroachment or sale or purchase by persons of Government/Gaon Sabha land and orders issued by the officials in this regard. The complaint in this regard may be invited from Members with the condition that if the complaint is found untrue, the Member concerned will have to resign from the Membership of the House."

The Committee was formally constituted by the Hon'ble Speaker on 2nd February, 1998.

The text of the Resolution was circulated to the Members vide Asssembly Bulletin Part-II, Dated 2nd February, 1998 and again on 26th May, 1998, inviting complaints, if any, from them.

COMPLAINT BEFORE THE COMMITTEE

In response to the Bulletin, the Committee received only one complaint from Shri Jai Bhagwan, MLA, against another Member of the House Shri Shish Pal. The Complainant stated that Shri Shish pal was in unauthorised occupation of Central Government land measuring 2 Bighas of Tughlakabad Village belonging to Khasra No.1735/410 min. The complainant also enclosed, alongwith his complaint, a copy of the Khasra Girdawari from Revenue Department to substantiate his charge. The complainant also gave an undertaking that if his charge was found to be untrue, he will tender his resignation from the Legislative Assembly.

INQUIRY/EXAMINATION OF COMPLAINT

In the first meeting held for the purpose, the Committee decided to hear the complainant as also the Secretary and other officials of the Revenue Department. The complainant MLA, in his evidence stood by his complaint. The Secretary (Revenue) in his evidence stated that land comprising of Khasra No.1735/410 min. of Tughlakabad Village (Tehsil Mehrauli) which was Central Government land belonging to the Rehabilitation Department, was in occupation of one Shri Shish Pal, son of Shri Kesari. The total area of the land was about 2 Bighas (2000 Sq Yds). The entire area was

built up one and Shri Shish Pal was in possession of the same for the last 12/13 years. On being enquired, the Secretary (Revenue) stated that the title on the Government land can be established by adverse possession if the occupant was continuously in possession of the same for more than 30 years.

The Committee thereafter gave an opportunity to Shri Shish Pal, MLA, to present his defence.

STATEMENT BY SHRI SHISH PAL, MLA

Shri Shish Pal, the person complained against, appeared before the Committee at its meeting held on 3rd July, 1998. He stated that although his name did figure in the Revenue record pertaining to Khasra No.1735/410 min. of Tughlakabad Village, he was, however, not in possession of the land nor has he ever sold the said land. He also stated that the land measuring about 2 Bighas was in possession of number of people, some of whom were having litigation with the DDA or the Central Government.

When a copy of the Agreement regarding sale of the said land on Power of Attorney by his father Shri Kesari Singh was shown to the witness, he stated that the land belonged to his father who, in turn, had purchased the same from other party and he could produce the document before the Committee in support of his statement.

The Committee desired that the witness (Shri Shish Pal) should produce documentary evidence of such a nature that the the Committee could feel convinced of his innocence in the matter.

In the next meeting, Shri Shish Pal produced photocopies, inter alia, of the following documents:-

(i) General Power of Attorney of 175 Sq Yds of land comprising in Khasra No.410 of Village Tughlakabad between Shri Satish Kumar son of Shri Mohan Lal of Village Tughlakabad and Shri Kashmir Singh son of Shri Gurbachan Singh, 1871/15 Govindpuri Exttension.

(ii) General Power of Attorney of land measuring 347 Sq Yds in Khasra No.410 of Tughlakabad Extension between Smt. Maya Devi Goel, wife of Shri G.D. Goel, resident of L-2A, NDSE, Part-II, New Delhi and Sardar Tarsem Sngh, son of Hazara Singh, 1352/13 Govindpuri, Kalkaji, New Delhi.

(iii) General Power of Attorney of 250 Sq Yds of land belonging to Khasra No.410 of Tughlakabad Ext. between Kesari Singh son of Bharat Singh of F-486, Village Tughlakabad and Smt. Harmail Kaur, wife of Kashmir Singh, resident of RZ-3072/35 Tughlakabad Extension.

(iv) Power of Attorney by one Smt. Anita Khandelwal wife of Pawan Khandelwal, resident of E-394, Greater Kailash-II, appointing Shri Kesari Singh son of Shri Bharat Sngh, as their Legal Attorney in respect of 344 Sq. Yds of land belonging to Khasra No.410 Tughlakabad Extension.

Shri Shish Pal stated that on 19th June, 1980, a portion of the land belonging to the same Khasra was sold by Shri Satish Kumar son of Shri Mohan Lal of Tughlakabad Village to Shri Kashmira Singh, son of Shri Gurbachan Singh, who are in possession of this land even till date. He also produced some documents in support of his contention.

On being asked by the Committee whether he was in possession of any portion of this land or any shop, the Member replied in the negative.

When asked as to how his name was entered in the Revenue records of the said Khasra, the MLA replied that he did not know. He also stated that when he came to know that his name figured in the Madan Jha Committee Report, as being in illegal possession of the land, he had immediately written to the Lt. Governnor denying that he was the occupant of the said land.

ENQUIRY BY AREA SDM AND HIS REPORT

With a view to probe further into the matter, the Committee desired that a report from the area SDM be immediately called for and he be directed to furnishdetailed information about the nature of land, number of families living therein, the persons from whom they had purchased the land, persons in whose names water and electricity connections exist as also statements of some individual occupants presently residing there.

In his report, SDM, Kalkaji stated that land belonging to Khasra No.1735/410min. was completely built up except a plot measuing about 800 Sq Yds. About 17 families were residing there and the area is being used for residential as well as commercial purposes. Some small rooms have also been built by owners and given to labourers on rent. None of the owners except Mr. KashmiraSingh was residing there. Shri Kashmira Singh had purchased this land in the name of his wife Smt. Harmail Kaur from Shri Kesar Singh son of Shri Bharat Singh, resident of F-486 Village Tughlakabad. He also furnished a General Power of Attorney and Agreement in this regard.

SDM's enquiries also revealed that two plots measuring 200 Sq Yds and 800 Yds belonged to one Mr. Bhagwir remaining three plots belonged to Shri Dharam Pal Sharma, Shri Amar Nath Sharma and Shri Gurmail Singh. The report also stated that labourers living in small quarters

were paying rent to these people. He also made a statement that a few labourers and their families were living there. Electricity and water connections from government agencies were not yet installed and people were using generators or unauthorised electricity connections.

The SDM also informed the Committee that one Kerosene Oil Depot having licence No.3879/95, issued on 5th April,1995 in the name of Shri Vijendra Bidhuri son of Shri Giani was running from these premises. In this connection, the Committee summoned Commissioner, Food & Civil Supplies and asked him how the department could issue the licence to a person who did not own the premises and was operating from the Government land. The Commissioner, in his reply, stated that the applicant while applying for licence, had submitted necessary papers including an affidavit in which he made an averment that he was the owner of the premises where the Kerosene Oil Depot was to be opened. The licence was, therefore, issued because the Department did not find any apparent flaw in the documents. He also furnished copies of documents submtted by the applicant.

STATEMENT OF PATWARI AND KANOONGO OF REVENUE DEPARTMENT

As per directions of the Committee, the concerned Patwari and Kanoongo who had made entries in Revenue records, showing Shri Shish Pal as 'Kabzedar' of the property located in Khasra No.1735/410 min., were summoned before the

Committee for giving statement. While the Patwari could not appear as he had since retired from service, the Kanoongo made statement before the Committee that the name of Shri Shish Pal was entered in the Revenue records as 'Kabzedar' in February, 1998. The Kanoongo stated that he had counter signed the records as prepared by the Patwari after visiting the spot and making enquiries from local residennts.

On referring to the records, the Kanoongo stated that prior to 1988, the Kabzedar was one Giri Raj. When asked as to whether at that time he knew Shri Shish Pal, now an MLA, the Kanoongo replied in the affirmative and stated that Shri Shish Pal at that time used to do some sort of property business.

ENQUIRIES FROM MCD - PROPERTY TAX DEPARTMENT

With a view to make further enquiries and to unearth the truth, the Committee decided to summon the MCD officials to find out as to the identity of the persons on whose names the property stands in the MCD records. The representative of MCD submitted a statement containing the details of properties between Gali No.35-36 of Tughlakabad Extension. The Deputy Municipal Commissoner, MCD, stated that in all 7 properties exist on the said Khasra number but only one property has been assessed by the MCD and as per their records the said property was sold by Shri Kashmira Singh to one Shri Aman Arora. Shri Shish Pal's name did not figure in the Property Tax Statement furnished by the MCD.